न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 07/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/ 107

बउनवानीः—1. बजरंग लाल पुत्र भूरा माली निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
2. सुखपाल पुत्र भूरा माली निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
3. कालू पुत्र भूरा माली निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. गणेश पुत्र विलास माली निवासी निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
2. गलखु पत्नि विलास माली निवासी निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
3. छीतर पुत्र विलास माली निवासी निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
4. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा खाता संख्या 306 वाके ग्राम शिवाड बाबत पारित तकासमा आदेश दिनांक 1.8.2022 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः— 1. संदीप शर्मा वकील अपीलान्टगण
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 18.12.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा के द्वारा खाता संख्या 306 वाके ग्राम शिवाड का दिनांक 1.8.2022 को किये गये तकासमा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि खाता संख्या 306 वाके ग्राम शिवाड में खातेदारान में आपसी सहमति से तकासमा कराने के नाम पर तहसीलदार महोदय ने हम अपीलान्ट के अनपढ होने का फायदा उठाकर पटवारी एवं गिरदावर की गलत मिथ्या एवं झूठी रिपोर्ट के आधार बना कर रेस्पो. वगै0 से मिलकर उक्त गलत एवं मिथ्या तकासमा स्कीम तैयार कर तकासमा किया गया है जो पूर्णतया अवैधानिक क्षेत्राधिका बाहर एवं एकतरफा है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व रिकार्ड मौके की असल एवं वास्तविक जॉच नही की सरसरी तौर पर बिना अपीलान्ट का पक्ष सुन उक्त आदेश पारित किया है। पटवारी महोदय ने खाली प्रोफार्मा पर अपीलान्ट के अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षर करवाकर अपीलान्ट की फोटो लगाकर मनमर्जी से रेस्पो से मिलकर उक्त तकासमा स्कीम तैयार की ह ैना तो अपीलान्ट को स्कीम बनाने से पूर्व सुना गया ना ही कब्जे के बारे में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। यह तर्क भी दिया कि सभी प्रकार की भूमियों मे सभी सह खातेदारान को अच्छे मे से अच्छा तथा बुरे मे से बुरे भूमि बराबर बांटे जाने का विधि का स्थापित सिद्वान्त है जिसका अधीनस्थ न्यायालयों ने जानबूझकर अनदेखा किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी प्रकार की भूमियों का समान रूप से बटवारा नही किया है इसलिए आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मौके की असल एवं वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये बिना ही कार्यालय मे बैठकर मौके को असल एवं वास्तविक स्थिति के विपरीत उक्त आदेश पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अदालत

.....(1).....

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि ख0न0 5938/3796, ख0न0 5946/3793, 5937/3996, ख0न0 5945/3793 भूमि पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा हटाये बिना ख0न0 5938/3796,ख0न0 5946/3793 की भूमि अपीलान्ट के तथा ख0न0 5937/3996, ख0न0 5945/3793 की भूमि रेस्पो0 के हिस्से मे बांट दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि ख0न0 5941/4092 व ख0न0 4101, 4097, 4096,5447/4097 के आने जाने का रास्ता नही है तथा रास्ते के अभाव मे उक्त भूमि की हंकाई जुताई नही हो रही है। इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलान्ट व रेस्पो0 को कुए की भूमि अलग है तथा माड की भूमि अलग है अदालत मातहत द्वारा दोनो स्थानों की भूमि मे से बराबर बराबर हिस्से नही किये गये है। यह भी तर्क दिया कि ख0न0 3798 रकबा 0.400 है0रेस्पो. के दिये गये ख0न0 3797 के पीछे पडता है। उक्त ख0न0 3798 मे से 1/2 हिस्सा उक्त स्कीम में अपीलान्ट को दिया गया है, लेकिन ना तो उसके आस–पास अपीलान्ट का कोई खेत नही है ओर ना ही आने जाने का कोई रास्ता है इसलिए उक्त भूमि भी रेस्पो. के काम आ रही है। इस प्रकार राजस्व कर्मिया ने बिना मौके पर गऐ कार्यालय मे बैठकर बिना मौका रिपोर्ट बनाये मनमर्जी व मनमानी से खाली प्रोफार्मा पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर व फोटो का दुरूपयोग कर उक्त मिथ्या व फर्जी तकमास्मा स्कीम बनायी गयी है। उक्त तकासमा स्कीम के अनुसार मौके पर कब्जा भी नही दिया गया बिना सुने एवं प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त उल्लघंन कर उक्त आदेश पारित किया गया। यह तर्क भी कि दिनांक 10.7.2023 को अपीलान्ट अपने खेतो पर गऐ व रेस्पो. द्वारा उक्त खेत स्वंय के हिस्से मे आना बताया एवं उक्त तकासमा स्कीम के बारे मे अवगत कराया तो दिनांक 14.7.2023 को तमासमा स्कीम की नकल लेकर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि आदेश जैर अपील (तकासमा स्कीम) सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बनायी गयी है जिसपर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है। उक्त तकासमा स्कीम में अपीलान्ट को 2.7930 है0 एवं रेस्पो0 को 2.9714 है0 बराबर भूमि दी गयी है। ख0न0 3796 रकबा 0.03 है0, ख0न0 4101/5600 रकबा 0.1300 है0, ख0न0 4092/1 रकबा 0.0336 है0, ख0न0 4092/2 रकबा 0.0032 है0, ख0न0 4097 रकबा 0.0288 है दोनो पक्षकारान के लिए रास्ते के उपयोग हेतु रखी गयी है। इस प्रकार आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण खारिज किया जाना न्याय संगत नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील (तकासमा स्कीम) पर सभी खातेदारान की उपस्थिति में तैयार की गयी है जिसकी पुष्टि तकास्मा स्कीम पर सभी खातेदारान के हस्ताक्षर से हो जाती है। उक्त तकासमा स्कीम मे सभी खातेदारान को हिस्से अनुसार बराबर भूमि का बटवारा किया गया है साथ ही दोनो पक्षकारान के आने जाने के लिए रास्ते के उपयोग हेतु भी भूमि आरक्षित रखी गयी है। तकासमा स्कीम का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि उक्त तकासमा स्कीम मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है इसलिए आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner